न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर केम्प भोपाल म0 प्र0

नि. क्र.   / 2014

R 1482 - II / 14

श्री नाथूसिंह आ0 श्री रामसिह आयु 85 वर्ष
जाति राजपूत निवासी ग्राम रजापुर
तहसील सोनकच्छ जिला देवास
कृषक ग्राम बिसुखेड़ी तहसील जावर
जिला सीहोर म0 प्र0 .... निगरानीकर्ता

:— विरूद्ध —:

1. दुलेसिंह आ0 श्री मदन सिह आयु 70 वर्ष
2. शिवनाथ सिह आ0 श्री मदन सिंह आयु 65 वर्ष
3. विष्णुसिंह आ0 श्री मदन सिह आयु 62 वर्ष
   सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रजापुर
   तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0 प्र0
4. म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार महोद जावर .... रेस्पोडेंट्स

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1482–दो / 14 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एव स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नामांतरण कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय से वाद का अंतिम निराकरण न होने तक स्थगित रखे जाने की मांग की गई । उक्त आपत्ति पर तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया गया कि व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होने नामांतरण संबंधी कार्यवाही स्थगित किए जाने का उन्हें अधिकार नही है और उन्होंने प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है । तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।	

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर